न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 118/17 **निर्णय दिनांकः 09.05.2019**

1. अणदा पत्नि स्व. शेराराम नायक जाति नायक निवासी जग्गासर हाल चक 10 टीडब्ल्यूएम तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. टोपनराम पुत्र रामप्रताप नायक जाति नायक निवासी राववाला तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 05—09—2017 व 25—03—2008
उपखण्ड अधिकारी, कोलायत

उपस्थिति :—

1. श्री राधाकिसन स्वामी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री रणजीत सिंह निर्वाण, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्
3. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के आदेश दिनांक 05—09—2017 व 25—03—2008 जिसके द्वारा विशेष आवंटन में रेस्पोडेन्ट् को वादग्रस्त भूमि का आवंटन किया गया है, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि परीक्षण न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को दिनांक 25—03—2008 को चक 10

टीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 184/21 के किला नम्बर 16 ता 19 की 4 बीघा, किला नम्बर 21 ता 25 की 5 बीघा इस प्रकार 9 बीघा कमाण्ड एवं किला नम्बर 3 ता 8 की 6 बीघा व किला नम्बर 11 ता 15 की 5 बीघा, किला नम्बर 20 की 1 बीघा इसप्रकार कुल 12 बीघा अनकमाण्ड कुल 21 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 05—09—2017 को वादग्रस्त भूमि के बाबत् 20 प्रतिशत राशि जमा करवाते हुए आवंटन आदेश जारी किया गया। जबकि अपीलांट के पिता का चक 10 टीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 184/21 की 25 बीघा भूमि पर सवंत् 2012 से पूर्व का कब्जा काश्त चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में वादग्रस्त भूमि अपीलांट की आक्यूपाईड लैण्ड होने के कारण आवंटन हेतु उपलब्ध भूमि नहीं थी। मौके पर अपीलांट की ढाणी बनी हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि चक 10 टीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 184/21 की 25 बीघा भूमि संवत् 20123 से पूर्व से कब्जे काश्त में चली आ रही है तथा अपीलांट द्वारा तावान भी समय समय पर अदा किया जाता रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना ही व मौके की जॉच किये बिना, हल्का पटवारी से रिपोर्ट प्राप्त किये बिना केवल मात्र राजस्व रिकार्ड को देखकर आनन—फानन में आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

उन्होनें आगे बताया वादग्रस्त भूमि के नियमन हेतु अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, कोलायत के समक्ष प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत कर रखा है जोकि वर्तमान में जैरकार है। परीक्षण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर कोई गौर किये बिना वादग्रस्त भूमि जो दिनांक 25—03—2008 को चक 10 टीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 184/21 के किला नम्बर 16 ता 19 की 4 बीघा, किला नम्बर 21 ता 25 की 5 बीघा इस प्रकार 9

बीघा कमाण्ड एवं किला नम्बर 3 ता 8 की 6 बीघा व किला नम्बर 11 ता 15 की 5 बीघा, किला नम्बर 20 की 1 बीघा इसप्रकार कुल 12 बीघा अनकमाण्ड कुल 21 बीघा कमाण्ड/अनकमाण्ड भूमि का आवंटन किया गया था के बाबत् दिनांक 05—09—2017 को 20 प्रतिशत राशि जमा करवाते हुए आवंटन आदेश जारी किया गया। उक्त आदेश स्पष्ट रूप से विधि के प्रावधानों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है। प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि अपीलांट का वादग्रस्त भूमि के नियमन का प्रार्थना पत्र जैरकार था तथा आराजी जैर पर अपीलांट का कब्जा काश्त है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों के विपरीत जाकर आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। ऐसे एकतरफा आदेश पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियांद शुमार धोषित की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 1982 पेज 497, आरआरडी 2002 पेज 150 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन सलाहकार समिति की राय से दिनांक 25—03—2008 को चक 10 टीडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 184/21 में 21 बीघा भूमि का विशेष आवंटन किया गया था। जो दिनांक 17—07—2008 को 20 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराये जाने के कारण निरस्त कर दिया गया। उक्त निरस्तीकरण आदेश की अपील न्यायालय अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत करने पर दिनांक 10—07—2013 को उक्त अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया कि आवंटित भूमि विशेष

आवंटन हेतु अधिसूचित व आराजीराज हो तो सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए नियमानुसार निर्णय पारित करें।

उक्त आदेश के अनुसरण में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर वादग्रस्त भूमि के बाबत् मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिसके अनुसार आराजी जैर को आराजीराज व विशेष आवंटन हेतु अधिसूचित दर्शाने के आधार पर वादग्रस्त भूमि के पूर्व के आवंटन दिनांक 25—03—2008 को बहाल करते हुए निर्धारित राशि 1, 47, 600/— की 20 प्रतिशत राशि 29,520 जमा कराये जाने पर आवंटन आदेश जारी किया गया है।

उन्होनें आगे बताया कि जहॉ तक वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का कब्जे काश्त का प्रश्न है इस संबंध में अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित होता हो कि आराजी जैर पर अपीलांट का कभी कब्जा काश्त रहा हो अथवा वादग्रस्त भूमि के नियमन का कोई प्रार्थना पत्र जैरकार है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मनगढ़त व काल्पनिक आधार पर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट उक्त अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। रेस्पोडेन्ट द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन की तमाम प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। आराजी जैर से अपीलांट का कोई लेना—देना नहीं है। केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को तंग व परेशान करने की नियत मात्र से तमाम कार्यवाही की जा रही है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जाकर आदेश जैर अपील यथावत बहाल रखा जावे।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है अपीलाधीन आदेश दिनांक 05—09—2017 के विरूद्व अपील दिनांक 27—03—2018 को प्रस्तुत की गई है। अपीलांट अपने पक्ष में भूमि नियमन करवाने हेतु प्रयासरत था, परन्तु अन्य व्यक्ति द्वारा की जा रही समानान्तर कार्यवाही की समय पर जानकारी होन संभव नहीं था। अपीलाधीन आदेश

एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया गया है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए चार माह के विलम्ब का कारण संतोषजनक है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब शमन किया जाता है।

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि रेस्पोडेन्ट को आवंटित भूमि पर वह संवत् 2012 से पूर्व से ही काबिज है तथा उसकी ढाणी बनी हुई है। रेस्पोडेन्ट के पक्ष में की गई कार्यवाही के संबंध में पटवारी द्वारा भी अपीलांट के कब्जे की रिपोर्ट दी गई है। पत्रावली में शामिल दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलांट के कब्जे की रिपोर्टस सन् 2017—18 के दौरान की गई है। इससे पूर्व में कब्जे का या कब्जे के नियमन हेतु किये गये किसी प्रयास का कोई सबूत नहीं है। जबकि रेस्पोडेन्ट के पक्ष में आवंटन की कार्यवाही सन् 2006 से विचाराधीन है।

आवंटन अधिकारी द्वारा रेस्पोडेन्ट के आवेदन को सन् 2008 में राशि जमा नहीं करवाने के कारण खारिज किया गया था जिसे इस न्यायालय क आदेश तहत दुबारा सुनवाई के उपरान्त बहाल किया गया। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट को आवंटित भूमि पर प्रथम दृष्टया अपीलांट का कोई विधिसम्मत क्लेम नहीं बनता। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई भूल नहीं की है।

8. उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील सारहीन पाये जाने पर खारिज की जाती है तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 05—09—2017 व 25—03—2008 यथावत बहाल रखे जाते है।

9. निर्णय आज दिनांक 09—05—2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर